चौमूं के चिथवाड़ी में 11 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर दूध-मावे के सैंपल लिए

जयपुर। राजधानी जयपुर में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने दीपावली व शादी समारोह के सीजन को देखते हुए मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कर्म में मंगलवार सुबह सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार की खाद्य टीम ने चौमूं के चिथवाड़ी इलाके में ग्यारह फैक्ट्रियों पर छापा मार कर दूध-मावे के सैंपल लिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ विजय सिंह फौजदार ने बताया कि फूड सेफ्टी कमिश्नर शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर मंगलवार को चौमूं के चिथवाड़ी में छापा मारा। यह वह इलाके है, जहां सबसे ज्यादा दूध उत्पाद जैसे दूध, पनीर का उत्पादन किया जाता है। जयपुर शहर के अलावा आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में यहीं से पनीर सप्लाई होता है। अभी दीपावली व त्योहारी सीजन है। इसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई है।

डॉ. फौजदार ने बताया कि चौमूं में मावा बनाने की सबसे बड़ी मंडी है। यहां तीस से ज्यादा फैक्ट्रियां और भट्टियां हैं। त्योहार के सीजन में ये मात्रा और भी बढ़ जाती है। यहां से जयपुर, सीकर समेत कई जयपुर जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में मावा सप्लाई होता है। चीथवाडी चौमूं क्षेत्र में मावा भट्टियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ग्यारह मावे की भट्टियों मैसर्स श्रीपरमानंद मावा पनीर उद्योग, मनोज कुमार मावा, एल आर मावा पनीर, शंकर जाट मावे वाला, शर्मा मावा पनीर, अर्जुन लाल जाट मावे वाला, साधु राम मावे वाला, कविराज मावे वाला एवं मोहन मावे वाला आदि का संघन निरीक्षण कर दूध एवं मावे के 15 नमूने लिये गये।

सभी फर्मो का संघन निरीक्षण करते हुए मिलावटी-अमानक मावा एवं पनीर तैयार नहीं करने एवं साफ-सफाई पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया। इस कार्रवाई में सीएचएमओ जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार नेतृत्व में गठित चार खाद्य दलों की ओर से एक साथ एक समय पर की गई। इस कार्रवाई से मावा निर्माताओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा, रतन सिंह गोदारा, पवन कुमार गुप्ता, नरेन्द्र शर्मा, डॉ महेश, रवि बाडोतिया, सीताराम, पुखराज एवं महावीर शामिल रहे।

खाद्य व सुरक्षा विभाग की टीम ने दीपावली सीजन को देखते हुए मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौमूं के चिथवाड़ी इलाके में छापा मारकर दूध व मावे के सैंपल लिये।

- **यह वह इलाके है, जहां सबसे ज्यादा दूध व पनीर का उत्पादन किया जाता है।**
- **यहां से जयपुर, सीकर समेत कई जयपुर जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में मावा सप्लाई होता है।**

सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई हो : शुभ्रा सिंह

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता आमजन के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी व्यक्ति की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। शादी एवं त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट कर निरीक्षण करें और सेम्पलिंग बढ़ाएं। मिलावट पाये जाने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई भी करें।

सिंह मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण से जुड़े राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की समय पर जांच हो तथा गड़बड़ी पाये जाने पर पुख्ता कार्रवाई की जाए। एसीएस ने निर्देश दिए कि संभाग स्तरीय अधिकारी संबंधित जिलों में नियमित रूप से दौरे कर मॉनिटरिंग करें। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी भी अपने जिले में फील्ड विजिट आवश्यक रूप से करें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें। सिंह ने निर्देश दिए कि मिलावट रोकने के लिए इन्टेलीजेंस के आधार पर डिकॉय ऑपरेशन चलाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। पूर्व में मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में लिप्त रहे मिलावटखोरों की सूची तैयार कर अपराध की पुनरावृति पाए जाने पर एफएसएसएआई एक्ट की धारा 64 के तहत कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाएं। सभी फूड टेस्टिंग लैब का सुचारू संचालन किया जाए। उन्होंने औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवाओं की जांच एवं परीक्षण के लिए नियमित रूप से नमूने लें।

एसीएस ने स्टेट कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने मंगलवार शाम को स्वास्थ्य भवन स्थित 24 घंटे संचालित स्टेट कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सिंह ने कहा कि स्टेट कंट्रोल रूम में आने वाली हर शिकायत का रजिस्टर में इंद्राज हो और समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में आने वाले सभी कॉल्स का संतोषजनक जवाब देने के साथ ही शिकायतों को संबंधित शाखा में भेजकर उसका यथासंभव समाधान करवाया जाए। साथ ही निरन्तर फोलो-अप भी किया जाए।

राज्य में 7 नवंबर से एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

जयपुर, (का.सं.)। भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नगालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी।

राज्य में 31 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे

जयपुर। राज्य में विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए मंगलवार को नामांकन के दूसरे दिन राज्य में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 31 उम्मीदवारों ने 37 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में दूसरे दिन सादुलशहर, रायसिंहनगर, संगरिया, झुंझुनूं, खेतड़ी, फतेहपुर, सीकर, दांतारामगढ़, कोटपूतली, फुलेरा, अजमेर दक्षिण, झोटवाड़ा, आदर्शनगर, सांगानेर, बगरू, तिजारा, सवाई माधोपुर, टोंक, फलौदी, सूरसागर, जालोर, भीनमाल, नाथद्वारा, आसींद, शाहपुरा, मांडलगढ़, रामगंजमंडी, नदबई और बाली विधानसभा क्षेत्रों में कुल 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

सार-समाचार

गारंटी देकर जनता से छल कर रही कांग्रेस : अमित गोयल

जयपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस गारंटी योजनाओं के नाम से जनता से छल कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान केन्द्र सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर लागू किया है और सरकार की दोहरी नीति के कारण आमजन को इन योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं अब कांग्रेस नेता चुनावों में गारंटी के नाम पर केन्द्र की योजनाओं को जनता के बीच रख रहे है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई 7 गारंटियों में शामिल गोधन खरीद योजना भी केन्द्र सरकार की योजना का ही हिसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि राज्य के गौपालकों से गोबर खरीद की घोषणा तो केन्द्र ने 2018-19 के बजट में ही कर दी थी और इसके बाद इसे लागू भी कर दिया गया था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने केन्द्र की आयुष्मान योजना को भी ऐसे ही रोका था और करीब एक साल बाद उसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से लागू किया था।

राज्य में निवेशकों ने नहीं दिखाई रूचि : अशोक परनामी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के शासन में पिछले 5 सालों में प्रदेश का औद्योगिक विकास ठप हो गया है और यहां पर अधिकारियों तथा मंत्रियों की कमीशनखोरी के कारण बड़े उद्योगपतियों को राजस्थान से मोह भंग हो रहा है। इसका कारण है कि राज्य सरकार ने इन्वेस्ट समिट के नाम पर करोड़ों रूपए फूंकने के बाद भी राजस्थान में निवेश नहीं ला पाई है। वहीं इस समिट के नाम पर उद्योग विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों ने जमकर देश-विदेश में पर्यटन का लाभ उठाया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत 30 जनवरी तक 4195 एम.ओ.यू, एल.ओ.आई करार किये।

दीया कुमारी आज करेंगी नामांकन

जयपुर। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। इस अवसर पर दीया कुमारी ने जनता से नामांकन रैली में शामिल होकर आशीर्वाद और समर्थन देने का भी आवाह्न किया। नामांकन रैली रिद्धि सिद्धि टावर स्थित प्रधान कार्यालय से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहाँ पर दीया कुमारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करेंगी। नामांकन के उपरांत, दिया कुमारी वार्ड 28 में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगी। मंगलवार को उन्होंने जनसंपर्क की शुरुआत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीपुरा मंडल, वार्ड 11 से की। इसके उपरांत उन्होंने सभी से "मेरी माटी-मेरा देश" अभियान से जुड़ने का आवाह्न किया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी-मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के हर घर से एकत्रित की गई मिट्टी से आज कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा का समापन होगा।

सरकार पर पचास हजार का हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर होने के बीस साल बाद वेतन परिलाभ अदा करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ अदालत ने परिलाभ पर नौ फीसदी ब्याज अदा करने को कहा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को अनावश्यक याचिका पेश करने के लिए मजबूर करने पर राज्य सरकार पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने कहा है कि हर्जाना राशि की वसूली परिलाभ देने में देरी करने वाले अफसर से वसूली जा सकती है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

दुष्कर्म करने वाले युवक को उम्रकैद

जयपुर, (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल दस माह की नाबालिग पीड़िता के घर देर रात घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजय सिंह उर्फ ज्वाला सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 21 साल की उम्र में यह अपराध करने वाले इस अभियुक्त पर एक लाख 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

झोटवाड़ा से टिकट बदलने की मांग

जयपुर, (का.सं.)। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट को बदलने को लेकर मंगलवार को सैंकड़ों कार्यकर्ताओं की कनकपुरा स्थित उमराव गार्डन में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी, पार्षद और पूर्व पार्षदों के साथ ही संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। ओम बागड़ा ने कहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतौर सांसद पूरी तरफ विफल रहे हैं। राठौड़ बतौर सांसद जनता के बीच कभी नहीं दिखे। साढ़े नौ साल तक जनता उन्हें ढूंढती ही रही है और वो गायब रहे हैं। इन चुनावों में उन्होंने चुनाव लड़ा तो जनता उन्हें गायब कर देगी। पार्टी को राजपाल सिंह को टिकट देने पर विचार करना चाहिए।

रायसर प्लाजा के चुनाव 23 दिसंबर को

जयपुर। रायसर प्लाजा में चुनाव करवाने की घोषणा रायसर प्लाजा के सचिव विपिन अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि 23 दिसम्बर को रायसर प्लाजा के चुनाव करवाए जाएंगे।

जयपुर जिले की सात सीटों पर फंसा हुआ है कांग्रेस में पेच

कई बार चर्चाओं के बावजूद तय नहीं हो रहे उम्मीदवारों के नाम

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है लेकिन अभी भी कर सूचियों में जयपुर जिले की बहुत सारी सीटों के नाम अटके हुए हैं जहां काफी कशमकश देखी जा रही है।

जयपुर जिले की झोटवाड़ा, चौमूं, शाहपुरा, आमेर, चाकसू सहित शहर की दो सीटों विद्याधर नगर और हवामहल का मामला अभी तक अटका हुआ है।

जहां तक झोटवाड़ा विधानसभा का मामला है, तो यहां लालचंद कटारिया को लेकर कांग्रेस इंतजार कर रही है। हालांकि कटारिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब पार्टी कटारिया की पसंद को तवज्जो देती है या फिर नए उम्मीदवार को सामने लाती है, यह देखना होगा। वैसे मंगलवार को यहां से अंतरराष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया का नाम अचानक सामने आया है। हालांकि अभी तक पूनिया कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। झोटवाड़ा से उम्मीदवारी तय होने तक आमेर का मामला फंसा हुआ है। यहां पर प्रशांत सहदेव शर्मा का नाम लगभग तय है। हालांकि पूर्व विधायक गंगासहाय शर्मा भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले। चोमूं का मामला इसलिए अटका हुआ है कि इस बार कांग्रेस यहां पर हर बार की तरह परंपरागत रूप से माली-सैनी समाज को टिकट देने की बजाय यादव या जाट उम्मीदवार में से किसी को मौका दे सकती है। यदि चौमूं से किसी यादव को मौका मिला, तो शाहपुरा से जाट उम्मीदवार मैदान में होगा। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाहपुरा से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं।

जयपुर शहर की हवा महल विधानसभा सीट महेश जोशी के नाम पर अटकी हुई है। मुख्यमंत्री किसी भी स्थिति में उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वहीं आलाकमान उन्हें उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। ऐसे में यहां का फैसला भी हो नहीं पा रहा है। विद्याधर नगर सीट पर महिला के सामने महिला उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर पार्टी तैयार नजर आ रही है और क्योंकि यह सीट वैश्य समुदाय को दी जानी है, ऐसे में दिल्ली में शशि गुप्ता के नाम पर दो बार चर्चा हुई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फिर से सीताराम अग्रवाल को ही वैश्य समुदाय के नाम पर टिकट दिलाना चाह रहे हैं, ऐसे में यहां का मामला भी अभी अटका हुआ है। बताया जाता है कि इन सभी सीटों पर चर्चा तो हुई है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में एक-दो दिन बाद इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो पाएगी।

22 दिन में 400 करोड़ की अवैध नकदी व सामग्री जब्त

जयपुर, (का.सं.)। उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त की गई नकद राशि को रिलीज करवाने के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। यह समिति संबंधित अपीलार्थी के वैध दस्तावेज का अवलोकन कर जब्त की गई नकद राशि को रिलीज करने के आदेश जारी कर सकती है। विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में 400 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब तक 565 प्रतिशत अधिक मूल्य की अवैध नकदी, अवैध शराब, बहुमूल्य धातुओं और अन्य सामग्री जब्त की गई है। जब्ती के मामले में जयपुर जिला 65 करोड़ 19 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर है। अलवर जिले में 21 करोड़ 14 लाख रुपए, उदयपुर जिले में 18 करोड़ 52 लाख रुपए, जोधपुर जिले में 18 करोड़ 28 लाख रुपए और बीकानेर जिले में 18 करोड़ 4 लाख रुपए की जब्ती हो चुकी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

जारोली ने कहा था कि बिना राजनैतिक संरक्षण पेपर लीक संभव नहीं : डॉ. निमिषा

जयपुर, (का.सं.)। महिला उत्पीड़न, पेपर लीक और प्रदेश में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अपूर्वा सिंह, डॉ. निमिषा गौड़ और एकता अग्रवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान तीनों वक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से महिला सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक ना होने की गांरटी सहित प्रदेश में मुफ्त बिजली के नाम छलावे को बंद करके बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने की गारंटी मांगी।

महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अपूर्वा सिंह ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खुद एक महिला हूं इसलिए कहते हुए मन उद्वेलित है कि जिस राजस्थान में महिला सम्मान में साके और जौहर हुआ करते थे। जहां महिलाओं के सम्मान के लिए युद्ध लड़े जाते थे उस राजस्थान में आज महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, महिलाओं को बेचा जाता है, और दुधमुंही बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी जाती है। देश के चर्चित नैना साहनी तंदूर कांड, भंवरी कांड और भीलवाड़ा का कोटड़ी कांड ये सभी वीभत्स कांड कांग्रेस सरकारों के समय हुए हैं।

डॉ. निमिषा गौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की आधी आबादी आज असुरक्षित है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 70 लाख युवाओं पर पेपर लीक की ऐसी चोट मारी है जिसके दर्द से अभी तक प्रदेश का युवा कराह रहा है। मैं पीसीसी चीफ और तत्कालीन शिक्षा मंत्री से पूंछना चाहती हूं कि रीट उत्सव का दावा करने वाले डोटासरा बताएं कि उन 26.50 लाख रीट अभ्यर्थियों की क्या गलती थी, जब आपने महिला अभ्यर्थियों के गले से मंगलसूत्र, नाक की लोंग, कान की बाली तक उतरवा ली, आस्तीन कटवा दिये और एक मिनट भी कोई परीक्षा सेंटर पहुंचने में लेट हुआ तो परीक्षा से वंचित कर दिया गया।

सरकार ने रीट आवेदकों से दस हजार करोड़ रुपया वसूल लिया उसका जवाब कौन देगा। रीट का पेपर लीक होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशकर डीपी जारोली ने अपने बयान में सह स्वीकार किया था कि बिना राजनैतिक संरक्षण के शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना संभव ही नहीं है। इन सभी बातों का परिणाम है कि आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

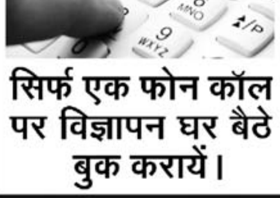

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री कैलाशचन्द सैन पुत्र स्व. नानगराम सैन एवं श्रीमती सूरज देवी पत्नी कैलाशचन्द सैन निवासीगण AA-7 गुरु कॉलोनी गोनेर रोड, जयपुर का पुत्र अजय कुमार सैन एवं उसकी पत्नी भारती सैन एवं उनके पुत्र समर्थ सैन व निहाल सैन मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं हैंएवं विधि विरुद्ध कार्य करते हैंइस कारण इनको मेरे अभिभाष्य गण अपनी समस्त स्वअर्जित चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इनसे लेन देन / संव्यवहार करती है वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। मेरे अभिभाष्य गण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे। सूचित रहे।
सीताराम हल्दुनियां, एडवोकेट, मो.-9772232511

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि मेरी अभिभाष्या के पिता श्री तेजसिंह खमेसरा पुत्र श्री लहरसिंह खमेसरा के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर सी-115, बजाज नगर, जयपुर उनकी अन्तिम वसीयत दिनांक 15.07.2018 के अनुसार श्रीमति गीता रांका पत्नी सज्जनकुमार रांका, जाति जैन, निवासी uga फ्लेट नम्बर-ए, सागर अपार्टमेंट, 6 तिलक मार्ग, इण्डिया गेट के पास नई दिल्ली मालिक व कब्जाधारिणी है। इस सम्पति को गीता के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन विक्रय अन्तरण का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता श्री विमलगर्ग द्वारा उनके अभिभाष्य श्री जय भटनागर के बिहाफ पर दैनिक भास्कर में दिनांक 17.10.2023 को प्रकाशित सूचना मिथ्या व भ्रामक है। उक्त सम्पति के बाबत कोई व्यक्ति किसी प्रकार से खरीद बेचान करने की कार्यवाही नहीं करे। सूचित रहें।
भवदीय-योगेन्द्रसिंह राजावत, एडवोकेट मो.: 9829132119

नाम परिवर्तन

मैं रजनी शर्मा पत्नि श्री मनीष कुमार शर्मा, निवासी-बी-283, वैशाली नगर, जयपुर, राज. की निवासी हुँ, मैंने अपना नाम Rajanimol P.P. से बदलकर रजनी शर्मा कर लिया है। भविष्य में मुझे रजनी शर्मा से जाना पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम विजय कुमार से बदल कर विरेन्द्र कुमार गुर्जर (Virendra Kumar Gurjar) पुत्र रामलाल रख लिया है। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जाये। निवास-70, गणेश नगर, मोती डूंगरी, जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लाट नं.73 शिव विहार, नारदपुरा आमेर के मूल कागजात आमेर रोड पर कहीं गिर गये मिलने पर सूचित करें। विजयपाल 9928488875

मेरे हस्ताक्षरशुदा 3 चेक, HDFC बैंक चेक नं.0000001, एक्सिस बैंक चेक नं. 144551 एवं 068405, हस्ताक्षरशुदा 500/- का स्टाम्प खाली, पेनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो, ड्राइविंग लाइसेन्स, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेन्ट कहीं खो गए है। रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने में दर्ज है। मिलने पर सूचित करें सुरज्ञान सामोता, लोहरवाडा, खण्डेला, सीकर 9352801275

मैं विश्रुत शर्मा पुत्र श्री आनंद शर्मा पता डी-2, 101 कमल अपार्टमेंट अपने निजी काम से 15/3/2023 को बनीपार्क गया था जहां मेरे घर से घीया मार्ग के बीच मेरे फ्लैट के मूल दस्तावेज गिफ्ट डीड, सैल डीड, साइड मैप, खो गए है मिलने पर सूचित करें 9136705551

आम सूचना दि. 31.10.2023
मैं उमंग कूलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश कूलवाल, निवासी-18- ए, मेडिकल सेन्टर के पास, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर का हूं। मेरी सम्पत्ति प्लाट नं. 18- ए, मेडिकल सेन्टर के पास, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर जिसका जेडीए द्वारा पट्टा संख्या 2147, दिनांक 01.11.2002 को मेरे नाम से जारी किया गया था, जिसका उपपंजीयक कार्यालय जयपुर तृतीय के यहां दिनांक 08.11.2002 को रजिस्टर्ड हुआ था। मुझसे उक्त पट्टे के साथ संलग्न असल स्टॉम्प पेपर जो कि 1000/- रूपये के 4 किता, 500/- रूपये के एक किता, 50/- रूपये का एक किता एवं 10/- रूपये के 2 किता जिनकी मालियत 4570/- रूपये है मुझसे कहीं खो गये है जिनकी मेरे द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट सायबर क्राईम पुलिस थाना जयपुर में दिनांक 24.07.2012 को दर्ज करवायी थी जिसका एल.आर. नम्बर 1516887/2022 है। मैं अपनी उक्त सम्पत्ति को भारतीय स्टेट बैंक, एस. एम.ई. साउथ, बाईस गोदाम, जयपुर में बंधक रख वित्तीय सुविधा प्राप्त कर रहा हूँ, इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मुझे एवं बैंक में 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति दर्ज करावे भवदीय,
उमंग कूलवाल, मो. 9509246269

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2166 दिनांक-31.10.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैकि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 33/21, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 121.00 वर्ग मीटर/ वर्ग गज का आवंटन श्री सुरेश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री तिलकराज का किया गया था।जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1516 दिनांक 30.04.1993 को जारी किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 24.01.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 515 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा श्री जयेन्द्र चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा के नाम नियमितिकरण अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री जयेन्द्र चन्द्र शर्मा की मृत्यु दिनांक 14.02.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अविरल शर्मा पुत्र श्री अविरल शर्मा पुत्र स्व. श्री जयेन्द्र शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री अविरल शर्मा पुत्र स्व.श्री जयेन्द्र शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1414 दिनांक-26.7.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैकि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 73/278, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री प्रबोध कुमार पुत्र श्री मदन मोहन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 30.6.1995 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 5398 दिनांक 12.3.1996 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास भौतिक कब्जा दिनांक 19.04.1996 को प्राप्त कर लिया गया था।इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1565 दिनांक 21.03.2001 के द्वारा श्रीमती मंजुला गोस्वामी पत्नी श्री पार्थ गोस्वामी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 25.9.2001 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती मंजुला गोस्वामी के द्वारा श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त कर दिया गया। मुख्त्यारनामा आम धारक श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र पं. श्री किशन लाल शर्मा को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 06.04.2005 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.9.2018 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान श्री राजीव शर्मा एवं श्री संजय शर्मा पुत्रान स्व.श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री राजीव शर्मा एवं श्री संजय शर्मा पुत्रान स्व. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	13483279	सम्पत्ति पर ऋण	1. श्री राम अवतार फ्रूट कम्पनी इण्डिया प्रा.लि. 2. देवेन्द्र राणा 3. राजवती सिंह रामफूल 4. राम अवतार सिंह	07.10.2023	1,54,15,679.19/-	प्लाट/दुकान नं.125, क्षेत्रफल 222.97 वर्ग मीटर, ब्लाक-बी, टर्मिनल गेट, मुहाना, जयपुर, राजस्थान-302029 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-दुकान नं.बी-120, पश्चिम-दुकान नं. बी-130, उत्तर-रोड 80' चौड़ी, दक्षिण-रोड 90' चौड़ी
2	16048026	गृह ऋण	1. तुला राम कुशवाहा 2. मधु कुशवाहा	14.10.2023	8,39,070.53/-	प्लाट नं. 1051, क्षेत्रफल 161.28 वर्ग मीटर, गोकुल एनक्लेव-।।।, ग्राम छत्रपुरा, कलवाड रोड, सेज के बाद, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302029 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है-पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम-रोड 30 फिट, उत्तर-प्लाट नं.1050, दक्षिण-रोड 40' फिट
3	112415369 एवं 112428568	गृह ऋण	1. उदय गोयल 2. रीता गोयल	17.10.2023	19,69,100.34/-	प्लाट नं. एच-126-ए (प्लाट नं. एच-176 के पूर्वी भाग का बीच का हिस्सा) क्षेत्रफल 56.57 वर्ग गज, मंगलम सिटी विस्तार, ब्लाक-एच, ग्राम-हाथोज, कलवाड रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-रोड 30 फिट चौड़ी, पश्चिम-प्लाट नं.एच-126 का हिस्सा, उत्तर-प्लाट नं. एच-126 का हिस्सा, दक्षिण-प्लाट नं. एच-126 का हिस्सा

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 01.11.2023
स्थान- राजस्थान
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)